



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 अग्रहायण 1940 (श०)

(सं० पटना 1004) पटना, शुक्रवार, 23 नवम्बर 2018

उद्योग विभाग

आदेश

22 नवम्बर 2018

विषय:- राज्य के वृहत् प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 अन्तर्गत अनुमान्य रियायतों, सुविधाओं एवं सहायता की स्वीकृति हेतु समिति का गठन।

सं० 4तक०/३०प्र० नीति, 2011/25/2015—1953—राज्य के वृहत् प्रक्षेत्र के औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 अन्तर्गत अनुमान्य रियायतों, सुविधाओं एवं सहायता की स्वीकृति हेतु निदेशक, तकनीकी विकास की अध्यक्षता में निम्न रूप से एक समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|---|---|--------------|
| (i) निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार के प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (iii) बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (iv) बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| (v) संयुक्त निदेशक | - | सदस्य संयोजक |
| (vi) विशेष आमंत्रित सदस्य (जहाँ आवश्यक हो) | - | सदस्य |

2. इस संदर्भ में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 अंतर्गत निर्गत उद्योग विभागीय आदेश ज्ञापांक 2443 दिनांक 15.07.2011, आदेश ज्ञापांक 2445 दिनांक 15.07.2011, आदेश ज्ञापांक 983 दिनांक 11.06.2015 एवं आदेश ज्ञापांक 1503 दिनांक 17.08.2015 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. समिति आवश्यकतानुसार समय—समय पर विशेष आमंत्रित सदस्यों को आमंत्रित करेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1004-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>